संख्या-13/2015/क0नि0-4- 408 /11-2015-400(35)/91टी.सी.

प्रेषक,

गीता मिश्रा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 04 मार्च, 2015**

विषयः-वाणिज्य कर विभाग के पुनर्गठन के अन्तर्गत सृजित पदों की वर्ष 2015-16की निरन्तरता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स्था-1-पदों की निरन्तरता-12-13/ 608/वाणिज्य कर, दिनांक 28.10.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में मूल्य सवंर्धित कर प्रणाली(वैट) लागू होने से राजस्व में अधिकाधिक वृद्धि लाने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या-क0नि0-4-902/11-2008-400(35)/91, दिनांक 10.06.2008 द्वारा वाणिज्य कर विभाग में निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में सृजित किया गया हैः-

क्र0सं0	सृजित पद	संख्या	पुराना वेतनमान
1	सदस्य सेटिलमेंट कमीशन	06	18400-500-22400
2	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1	09	16400-450-20000
3	एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2	75	14300-400-18300
4	ज्वाइन्ट कमिश्नर	32	12000-375-16500
5	डिप्टी कमिश्नर	177	10000-325-16500
6	असिस्टेण्ट कमिश्नर	172	8000-275-13500
7	वाणिज्य कर अधिकारी	219	6500-200-10500
8	ज्वाइट डायरेक्टर(संख्या)	01	12000-375-16500
9	उप निदेशक(संख्या)	03	10000-325-16500
10	संख्याधिकारी	21	8000-275-13500

2- चूँकि उक्त पदों की भविष्य में चलते रहने की आवश्यकता है। अतः श्री राज्यपाल महोदय उक्त अस्थायी पदों की वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत दिनॉक 29 फरवरी, 2016 तक, यदि इससे पूर्व ये पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, तक चलते रहने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

--2/---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपरोक्त पद धारकों को समय-समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता तथ अन्य शर्ते, जो भी अनुमन्य होंगी, देय होंगी।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-89 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2040-विक्री, व्यापार आदि पर कर-800- अन्य व्यय-आयोजनेत्तर-03 वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीया,

गीता मिश्रा
विशेष सचिव।

संख्या-13/2015/क0नि0-4- 408 (1)/11-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
5- गार्ड बुक/समीक्षा अधिकारी (बजट)।

आज्ञा से,

धीरेन्द्र कुमार वर्मा
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।